तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रभारी अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) घाटोल द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान में अपने आदेश कमांक 1794–97 दिनांक 11.01.2011 से यह आदेश पारित किया कि "ग्राम चिरावालागडा की आराजी नंबर 861 रकबा 0.05 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में खाता नंबर 137 नया 125 कुल खसरा नंबर 12 कुल रकबा 1.17 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर भूमि जो राजस्व रेकार्ड में समरत बेवा रतना, गलाब जी, भेरा, चोखा पिता रतना 1/2 के नाम दर्ज है। इस भूमि पर आंगनवाड़ी केन्द्र चिरावालागढ़ा का भवन निर्मित होकर राजकीय उपयोग में लिया जा रहा है।" उक्त आधार पर 0.02 हैक्टर रकबा खातेदार के खाते से कम कर निर्मित भवन आंगनवाड़ी केन्द्र चिरावालागढ़ा के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार घाटोल को दिया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश कमांक 1794–97 दिनांक 11.01.2011 से रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.12.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 06.10.2022 को प्रार्थी गलाब के मकान गिराये जाने का नोटिस मिलने पर संबंधित कार्यालय से जानकारी प्राप्त करने पर प्रथम बार दिनांक 18.11.2022 को उक्त आदेश की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 11.01.2011 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 16.12.2022 को प्रस्तुत	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:04 IST
Reason: SelfAttested

उ.अ. एवं रा.अ.अ.
उदयपुर (राज.)

की गई है, जबकि अपील प्रस्तुत करने की अवधि 60 दिवस है अर्थात दिनांक 11.03.2011 तक समयावधि में अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार उक्त अपील करीब 11 वर्ष 9 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने बताये हैं वह न तो उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इतने वर्ष विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण है। तदनुसार अपील बेरून मयाद होने से इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कमांक 1794–97 दिनांक 11.01.2011 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:49:04 IST
Reason: SelfAttested